# प्रेस नोट

**पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांकः- 18.12.2024 को जनपद में अपराधियों के विरूद्व व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरणः-**

❖ थाना रनियां पुलिस द्वारा अ0सं0 235/24 धारा 305बी/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त राजू पुत्र लक्ष्मणसिंह निवासी आर्यनगर प्रथम रनियां थाना रनियां जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।

❖ थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1. नफीस पुत्र मुनार अली निवासी जेठरौली, थाना गजनेर, जनपद कानपुर देहात, उम्र लगभग 23 वर्ष तथा 2. दीपक सिंह पुत्र दिनेश सिंह निवासी ग्राम कछवाहिनपुर, थाना घाटमपुर, जनपद कानपुर नगर, उम्र लगभग 22 वर्ष द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से लिये तमंचा देशी 315 बोर से फायर करने व पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग में उनको दाहिने पैर में गोली लगने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 525/2024 धारा 109 बीएनएस व धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

❖ थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1.हेमन्त सिंह पुत्र शिवगोपाल सिंह सेंगर उर्फ छोट्टन निवासी ग्राम बखरिया थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर 2. शिवा गौतम पुत्र घसीटे गौतम निवासी ग्राम कछवाइनपुर थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से लिये तमंचा देशी 315 बोर से फायर करने व पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग में उनको दाहिने पैर में गोली लगने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 526/2024 धारा 109 बीएनएस व धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 14 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना रनियां पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना गजनेर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना बरौर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना रूरा पुलिस द्वारा 09 व्यक्तियों, थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया।